न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी :– अंशुल आमेरिया (R.A.S.)
राजस्व वाद संख्या :– 15/2022

उनवान

1. कैलाश
2. गणेश ,
3. दशरथ पुत्र लक्ष्मण
4. भगवती पत्नि लक्ष्मण
5. रमेश पुत्र कालू उर्फ बालू
6. राजू पुत्र लक्ष्मण ,
7. हनुमान पुत्र लक्ष्मण समस्त जातिगण दरोगा निवासी चाट तहसील नसीराबाद

––– प्रार्थीगण :– जरियें अधिवक्ता श्री हीरालाल माली

बनाम

1. कंचन पुत्री शिवराज
2. गोरधन पुत्र रिद्वकरण
3. छोटी देवी पत्नि शिवराज
4. जगदीश पुत्र रिद्वकरण
5. दिलीप पुत्र शिवराज
6. सावंरलाल पुत्र शिवराज (फौत)

6/1. पायल पुत्री सांवरलाल
6/2. आशा देवी पत्नी सांवरलाल
6/3. सलोनी पुत्री सांवरलाल समस्त जातिगण जाट निवासी चाट तहसील नसीराबाद

7. बैक ऑफ आई.सी.आई.सी.आई शाखा नसीराबाद
8. राजस्थान सरकार तहसीलदार नसीराबाद

–– अप्रार्थीगण :– 1 से 6 जरियें अधिवक्ता श्री सीताराम रावत
7 अनुपस्थित, 8. जरियें राज0 पैरोकार

उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (जिला–अजमेर)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

–: आदेश :– दिनांक :– 12.2.23

प्रार्थीगण ने उक्त प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम जगपुरा के खसरा नम्बर 355, 356/631, 359, 365, 366, 367 [illegible] प्रार्थीगण की खातेदारी की है। तथा प्रार्थी अपनी उक्त खातेदारी [illegible] खसरा नम्बर 101 गै0मु0 सडक से होते हुये खसरा नम्बर 10 [illegible] खसरा नम्बर 9 सिवायचक

Signature Not Verified
Digitally signed by Anshul Aameria
Date: 2024.01.08 14:55:34 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

से गुजरते हुये अप्रार्थीगण की खातेदारी खसरा नम्बर 356 के कुछ हिस्से का उपयोग करते हुये अपनी खातेदारी आराजी पर आवागमन करते है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई रास्ता प्रार्थीगण के पास उपलब्ध नही है। प्रार्थीगण द्वारा पूर्व में भी मार्ग के लिये प्रार्थना पत्र पेश किया था जिसमें अंकन किया था कि प्रार्थीगण खसरा नम्बर 9 में से होते हुये अप्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 356 में से वैकल्पिक रास्ता ले सकते है। अतः प्रार्थीगण द्वारा इस आधार पर प्रार्थना पत्र श्रीमान के समक्ष पेश किया गया है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थी को अपनी उक्त खातेदारी भूमि पर आने–जाने हेतु ग्राम चाट के खसरा नम्बर 101 गै0मु0 सडक से होते हुये खसरा नम्बर 10 गै0मु0 सडक व खसरा नम्बर 9 सिवायचक से गुजरते हुये अप्रार्थीगण की खातेदारी खसरा नम्बर 356 में से 30 फिट चौडा रास्ता माननीय न्यायालय द्वारा प्रदान किया जावे। उक्त अनुसार आदेश जारी कर तहसीलदार नसीराबाद को राजस्व रेकार्ड व मानचित्र में रास्ता दर्ज करने के भी आदेश पारित करावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरियें नोटिस तलब किया गया। तहसीलदार नसीराबाद से मौका रिपोर्ट तलब की गयी।

अप्रार्थी संख्या 1 से 6 ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि आराजी मुतनाजा के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र पूर्व में खारिज किया जा चुका है। खसरा नम्बर 355 व 356/631 के सभी सह खातेदारों को प्रकरण में पक्षकार नही बनाया है। खसरा नम्बर 356 पर जवाबकर्ता ने तारबंदी कर रखी है। प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण की भूमि हडपने के लिये प्रार्थना पत्र पेश किया है। अतः प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज किया जावे।

तहसीलदार नसीराबाद से मौका रिपोर्ट तलब की गयी।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया गया। विद्वान अधिवक्तागण व राज0 पैरोकार के तर्को पर मनन किया। ग्राम जगपुरा के हाल खसरा नम्बर 359/0.36, 365/0.17, 366/0.16 व 367 रकबा 0.17 की आराजी प्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज है। एवं खसरा नम्बर 356 रकबा 0.29 अप्रार्थी संख्या 1 से 6 के नाम खातेदारी दर्ज हैं। ग्राम चाट के खसरा नम्बर 101 रकबा 0.59 किस्म सडक व खसरा नम्बर 9 रकबा 0.17 किस्म बीड सिवायचक खाते में दर्ज है। व ग्राम चाट के ही खसरा नम्बर 10 रकबा 0.04 किस्म गै0 मु0 रास्ता कंचन वगै0 के नाम खातेदारी दर्ज है। मौका रिपोर्ट अनुसार प्रार्थीगण को अपनी खातेदारी आराजी पर जाने हेतु ग्राम चाट के खसरा नम्बर 11, 10 व 9 में से हो कर खसरा नम्बर 356 में से भूमि की आवश्यकता है। मौके पर अन्य वैकल्पिक व लघुतम रास्ता उपलब्ध नही है। हाजा न्यायालय द्वारा दिनांक 16.09.22 को मौका निरीक्षण किया गया जिसके अनुसार मौके पर ग्रम चाट के खसरा नम्बर 10 पर रास्ता चालू है खसरा नम्बर 9 रिक्त है। खसरा नम्बर 356 पर तारबंदी है। प्रार्थीगण ने अवगत कराया कि खसरा नम्बर 356 की भूमि पूर्व में सिवायचक थी जिसमें से आवागमन करते थे। उक्त रास्ता वर्तमान में बंद कर दिया है। तहसीलदार नसीराबाद की रिपोर्ट, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज व हाजा न्यायालय द्वारा किये गये मौका निरीक्षण अनुसार आराजी मुतनाजा पर आवागमन हेतु अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग प्रार्थीगण के पास उपलब्ध नही है। मौके पर चाहा गया मार्ग लघुतम है। जिसकी आत्यतिंक आवश्यकता भी सिद्व होती है। खसरा नम्बर 10 की किस्म गै0मु0 रास्ता है जो मौके पर चालू है जिसमें से रास्ता दिये जाने का कोई औचित्य नही है। पूर्व प्रार्थना पत्र में प्रार्थीगण द्वारा खसरा नम्बर 356 में से रास्ता चाहा था तथा वर्तमान प्रार्थना पत्र में खसरा नम्बर 356 व 9 में से रास्ता चाहा है जिसमें प्रार्थीगण की भूमि का कम रकबा उपयोग में लिया जावेगा। मौका रिपोर्ट अनुसार प्रार्थना पत्र के तथ्यों की ताईद होती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anshul Aameria
Date: 2024.01.08 14:55:34 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

धारा 251 ए की मूल अवधारणा खातेदार को अपनी कृषि जोत तक आवागमन हेतु लघुत्तम रेकार्डेड मार्ग उपलब्ध कराने की है। अतः प्रार्थीगण अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में से रास्ता प्राप्त करने का अधिकारी है।

उक्तानुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र **"स्वीकार"** किया जाता है। ग्राम जगपुरा के खसरा नम्बर 356 में से 45 मीटर लम्बी व 9 मीटर चौडी कुल 405 वर्ग मीटर भूमि, ग्राम चाट के खसरा नम्बर 9 में से 66 मीटर लम्बी व 9 मीटर चौडी कुल 594 वर्ग मीटर भूमि गै0 मु0 रास्ता (सिवायचक खाते में) दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार नसीराबाद खसरा नम्बर 356 की आराजी के बदले 14512/ अक्षरे चौदह हजार पांच सौ बारह रूपये खातेदार को भुगतान करने के बाद व खसरा नम्बर 9 की आराजी के बदले 21284/ अक्षरे इक्कीस हजार दो सौ चौरासी रूपये राजकोष में जमा करवा कर उक्त आराजी गै0मु0रास्ते के रूप में सिवायचक खाते में दर्ज करने की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Anshul Aameria
Date: 2024.01.08 14:55:34 IST
Reason: SelfAttested